न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 57/2016

अनवान :

1. भरत कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतीष कुमार पुत्र प्रताप जाति भाम्भू जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा नाबालिग जरिये माता रितु पत्नी प्रताप जाति जाट भाम्भू निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– सायलान

बनाम

1. हुकमा पुत्र रतिराम जाति जाट भाम्भू निवासी नुआं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
2. महेन्द्र पुत्र हुकमा जाति जाट निवासी नुंआ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री संदीप कुमार गोदारा : **प्रार्थीगण**
निर्णय **दिनांक : 14.12.2017**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 298/260 के खसरा सं0 09 तादादी 1.606 है0 बारानी खसरा सं0 51 तादादी 1.809 है0 बारानी कुल 3.415 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें से गैरसायल हुकमा के नाम 3.288 है0 खातेदारी दर्ज है।

हुकमाराम के 2 पुत्र प्रताप व महेन्द्र उत्पन्न हुए जिसमें से प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। सायल भरत कुमार व सतीष कुमार प्रताप के पुत्रान है एवं रितू प्रताप की पत्नी है। इसके अलावा हुकमा के चार लडकियां सावित्री, शारदा, सन्तो, बाला ओर है जो अपने ससूराल रहती है।

वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें सायलान का भी जन्म से हक निहित है। कृषि भूमि गैरसायल हुकमा के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज है। वाद भूमि 3.288 है0 में सायल भरत कुमार का 1/6 हिस्सा, सायल सतीष कुमार का 1/6 हिस्सा एवं महेन्द्र का 1/6 हिस्सा गैरसायल हुकमा का 1/6 हिस्सा है। परन्तु जमाबन्दी में कुल भूमि तन्हा हुकमा के नाम कर्ता खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। अप्रार्थीगण को बार

बार आवाज लगाई गई, उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई । दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई सम्पत्ति है। हुकमा की संतानों का दादालाई जमीन में जन्म से हक हिस्सा है। जमीन दादा हुकमा के नाम दर्ज है। विक्रय करने पर प्रार्थीगण अपने हकों के महरूम हो जायेंगे। दौराने वाद वादभूमि को संरक्षित करना जरूरी है। अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं क्योंकि जमीन उसके ही नाम पर दर्ज है।

हमारे विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम नुवां सम्वत् 2068–71 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि रतु वल्द जगु के फौत होने के बाद हुक्मा व अन्य वारिसान के विरासतन दर्ज हुई है इस प्रकार विवादित आराजी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासतन चली आ रही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। चूंकि विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि पक्षकारान के हकों का विनिश्चय मूल वाद के निर्णय में होना है। यदि अप्रार्थी सं0 1 कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीगण को असुविधा व अपूर्णिय क्षति होना निश्चित है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे रोही मौजा नुंवा के खाता सं0 298/260 के खसरा सं0 09 तादादी 1.606 है0 बारानी खसरा सं0 51 तादादी 1.809 है0 बारानी कुल 3.415 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें से गैरसायल हुकमा के नाम 3.288 है0 खातेदारी दर्ज है को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक **14.12.2017** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़